राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– प.5(294)/निपेवि/नियम/ 2018/पार्ट–2/ 846-895 H दिनांक : 16-04-2019

अतिरिक्त निदेशक,
पेन्शन एवं पेन्शनर्स, कल्याण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय (समस्त)..............................राज.

कोषाधिकारी (समस्त)
..........................राज.

विषयः– वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.2018 एवं 18.07.2018 के तहत दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत/मृत पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधित करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया में संशोधन हेतु।

संदर्भः– वित्त (पेंशन) विभाग, जयपुर का पत्र दिनांक 27.03.19

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 18.07.2018 के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार अन्य जिलो से सेवानिवृत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जहां से पेंशन प्राप्त कर रहा है, उस जिले में आवेदन कर देता है, तो उस पेंशनर के आवेदन पत्र को संबंधित अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग को संशोधन हेतु भिजवाये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

वित्त (पेंशन) विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 27.03.19 (प्रति संलग्न) के द्वारा वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 18.7.2018 के बिन्दु संख्या 05 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन संशोधन किये जाने के स्थान पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा जिस जिले से पेंशन प्राप्त की जा रही है, उस जिले के कोषाधिकारी द्वारा पेंशन संशोधन करने की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया है।

अतः दिनांक 01.01.1991 से पूर्व के सेवानिवृत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर एवं राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अपना आवेदन पत्र पेंशन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तथा 01.01.1991 व इस के बाद के सेवानिवृत पेशनर द्वारा अपना आवेदन संबंधित कोष कार्यालय को प्रस्तुत करना है, जिस कोष कार्यालय से वह वर्तमान में अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है। कृपया इस पत्र की प्रति नोटिस बोर्ड पर भी लगायें।

संलग्न: एक

भवदीय

(जमन लाल जांगिड)
निदेशक

क्रमांक :–प.5(294)/निपेवि/नियम/ 2018/पार्ट–2/ दिनांक :
प्रतिलिपिः–

1. उपनिदेशक (आईएफपीएमएस)।
2. ए.सी.पी. कम्पयूटर अनुभाग।

निदेशक

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक प.10(7) वित्त/राजस्व/2013 लूज जयपुर दिनांक 27.3.19

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.2018 एवं 18.07.2018 के बिन्दु संख्या 5 में संशोधन के संबंध में।
संदर्भः—आपका पत्र क्रमांक प.5(294)/निपेवि/नियम/2018/पार्ट—2/345—एच दिनांक 14.02.2019

P.384/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि अन्य जिलों से सेवानिवृत हुए पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर की वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 18.07.2018 के बिन्दु संख्या 5 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार पेंशन संशोधन किये जाने के स्थान पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा जिस जिलें से पेंशन प्राप्त की जा रही है उस जिलें के कोषाधिकारी द्वारा पेंशन संशोधन करने की कार्यवाही किये जानें के संबंध में निर्देश जारी किये जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

उक्त अधिकृति वित्त (नियम) विभाग में बारकोड संख्या 591900009 दिनांक 22.03.2019 के द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(आशुतोष वाजपेयी)
सयुंक्त शासन सचिव

1.5.19

63

(32)

176 F.10(7)2013